न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 2112 /2022 तारीख रजू 1/12/22

दावा बाबत तकरमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2022/716

उनवान

खेलन्ती पत्नी जितेन्द्र जाति मीना निवासी शेतौली तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

---वादीगण--04

बनाम

रामफल पुत्र मांग्या जाति मीना निवासी शेतौली तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

--प्रतिवादीगण 12

दिनांक	फर्द अहकाम
1/12/22	यह दावा वादी की ओर से श्री विजेन्द्र कुमार गुर्जर एडवोकेट के जरिए पेश हुआ, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 22.12.2022 को पेश हो। (सुरेश कुमार हरसोलिया) उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली
22/12/22	पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी वकील उपस्थित। वादी व वादी वकील ने अवगत कराया कि वादी व वादी वकील प्रकरण की पैरवी आगे नहीं चलाना चाहते हैं। वादी व वादी वकील प्रकरण की पैरवी में रुचि नहीं रखना चाहते हैं। अतः मु0नं0 343/22 दावा खेलन्ती बनाम रामफल पीठासीन में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार ठीकठाक करके रखी जावे।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

विजेन्द्र एड:

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Harsolia
Date: 2023.02.15 17:26:31 IST
Reason: SelfAttested